

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
-------------	---------------------------	----------------------


सिद्ध



28/2/18 पत्रावली पेश हुई, वकील वारी उपस्थित
 प्रतिवादी सं. 1 को उपस्थित, वकील
 वारी ने रजिस्टर्ड नोटिस को पेश करके
 पेश कर के सुनिल मिश्रा के पास
 इच्छता पत्रिका पेश करके डिमांड नम्बर
 को पेश हो
 Omd
 28.2.18

11.4.18 पत्रावली चेक आई 1 वकील वारी उपस्थित
 प्रतिवादी संख्या 1 वगापत 3 को पेश
 शामिल होकर नोटिस शामिल पत्रावली के
 लक्ष्य मुचला आज अनुपस्थित है
 प्रतिवादी संख्या 1 वगापत 3 के विषय में
 तत्काल कार्यवाही आज ही ली जाती है
 प्रतिवादी सं. 1 पूर्व पेशी पर उपस्थित था आज
 उपस्थित नहीं है अतः प्रतिवादी सं. 1 पर भी एक
 पक्षीय कार्यवाही ली जाती है पत्रावली वास्तु सादन
 वकील देतु दिनांक 25.4.18 को पेश हो।
 Omd
 11.4.18

आशु शर्मा
 पेशी 21
 रमेश



अ.पि. सिंह
 3/11/18
 उभागना थाना, सरपंच
 विधान सभागत द्वारा पेश करके
 को 9799111667

10.5/18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत-याच
 आपके द्वार केम्प कोर्ट लूंगा में पेश हुई।
 वादीगण 1 लगा. 3 उपस्थित व प्रतिवादी सं. 1
 उपस्थित है। जिनकी पहचान सरपंच याच पंचसद
 लूंगा ने की है। वादी व प्रतिवादी ने लोक
 अदालत की भावना से प्रेरित होकर
 वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में
 राजीनामा पेश कर निवेदन किया
 कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 645
 रुकबा 0.21 हैक्टर, 646 रुकबा 0.02 हैक्टर
 कुल किला 2 कुल रुकबा 0.23 हैक्टर वादे

फर्द अहकाम

बनाम

जलकटर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

मुकदमा नम्बर :

आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
<p>ग्राम बूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित हैं। के सम्बन्ध में हम दोनों ही पक्षकार उक्त प्रकरण में वर्णित वर्तमान खसरा नम्बर 645 रकबा 0.21 हेक्टर, व खसरा नम्बर 646 रकबा 0.02 हेक्टर कुल 2 किलो रकबा रकबा 0.23 हेक्टेयर तिनके गांव खसरा नं. 261 रकबा 18 बिस्वा है की राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी प्रतिवादी सेइ पुत्र छोटा कांम माली के खाता सं. 545 जमा संवत् 2072-75 में से हराकर खुद प्रकृति वादीगण बाबूलाल, जगदीश, रमेश पुत्रान सेइराज माली मिला वूंगा की खातेदारी में दर्ज की जावे। हम वादीगण की ग्राम बूंगा में ढाणी लागवाली हैं तथा प्रतिवादी की ग्राम बूंगा में ढाणी पीपलीवाली हैं। यह समझौता हम दोनों पक्षकारान के मध्य पूर्ण होश हवास, स्वस्थ चिन्त व जागत शकस्था में बिना किसी दबाव व नशे पते के हुआ है।</p> <p>उक्त राजीनामा की इबारत वादी व प्रतिवादी को पढकर सुनायी गयी जिते पढ सुन व समझकर सही होना स्वीकार करने पर राजीनामा तस्दीक कर शामिल मिलल किया गया।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन एवं वादी व प्रतिवादी को वाद शकस्त भूमि पर सुनने एवं लोकअदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णय अनुसार वादशकत आराजी के सम्बन्ध में उक्त राजीनामा अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है डिफ्री पचा जारी हो। राजीनामा निर्णय व डिफ्री का जू जू रहेगा। पत्रावली नम्बर से कम छे।</p> <p>यह निर्णय आज दिनांक 10.5.18 को न्याय आपके दर केम कोर्ट वूंगा में मजमे आम में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">and 10.5.18</p>	

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

- | | | |
|-------------------------|------|----------------------------------|
| 1. बाबूलाल | बनाम | 1. सेडू पुत्र छोटया |
| 2. जगदीश | | जाति माली निवासी ग्राम तूंगा तह. |
| 3. रमेश पुत्रान सेडूराम | | बस्सी। |
| जाति माली निवासी ग्राम | | 2. उपपंजीयक बस्सी। |
| तूंगा तह. बस्सी। | | 3. तहसीलदार बस्सी। |

दावा घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 61/17

दिनांक 10.05.2018

वादग्रस्त आराजी ख.नं. 645 रकबा 0.21 हैक्टे., व ख.नं. 646 रकबा 0.02 हैक्टे. कुल किता 2 रकबा 0.23 हैक्टे. जिनके गत ख.नं. 261 रकबा 18 बिस्वा है की राजस्व रिकार्ड में खातेदारी प्रतिवादी सेडू पुत्र छोटया कोम माली के खाता संख्या 545 जमा. संवत 2072--75 में से हटाकर शुद्ध प्रविष्टी वादीगण बाबूलाल, जगदीश, रमेश पुत्रान सेडूराम जाति माली निवासी तूंगा की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।निजी.....मुबलिक.....बाबत.....
.....खर्चा इस मुकदममें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 10.05.2018 को जारी किया गया।
मोहर

दस्तख्त.....
ओहदा..... 10.5.18

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
			फीस		
कमिश्नर			कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी